सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 16, सोमवार, *शाके* 1945-फरवरी 05, 2024 *Magha 16 Monday , Saka 1945- February 05 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 30, 2024

संख्या प.4(10)कृषि/ग्रुप-2/2017 :-राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा 1 के खण्ड क एवं धारा 7 की उप धारा (2) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत नवगठित कृषि उपज मण्डी समिति, छीपाबडौद के प्रथम बोर्ड के गठन हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.4(10) कृषि/ग्रुप-2/2017 दिनांक 28.09.2022 एवं 31.01.2023 के द्वारा निम्नाकिंत मनोनीत सदस्यों का मनोनयन राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है:-

<u>कृषक वर्गः-</u>

श्री महेन्द्र सिंह

श्री हरिनारायण मीणा

श्रीमती अंजू कालगर

श्रीमती सरिता शर्मा

श्रीमती जनता बाई मीणा

श्री हेमन्त नागर

श्री परमानन्द मीणा

श्री भवंर लाल मेहता

<u>व्यापारी वर्गः-</u>

श्री दीपक मित्तल

श्री मुरलीधर खण्डेलवाल

हम्माल प्रतिनिधिः-

श्री नाथुलाल कुशवाह

ग्राम पंचायत सदस्यः-

श्री मेधराज नागर

सहकारी विपणन समिति सदस्यः-

श्री रणजीत सिंह

वित्तीय एजेन्सी सदस्यः-

श्री रामकरण मालव

विधान सभा का सदस्यः-

श्री प्रताप सिंह सिंघवी

राज्य सरकार द्वारा नामितः-

श्री मंजूर खान

श्री सुरेन्द्र कुमार मालव

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।